नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया आदेश

बारिश के बाद भूजल स्तर का होगा आकलन

सभी बड़े सरकारी-निजी भवनों में अनिवार्य होगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में लगातार गिरते भूजल स्तर और बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों में शासकीय, अर्द्धशासकीय और बड़े निजी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकार अब बारिश के बाद भूजल स्तर में कितना सुधार हुआ, इसका भी मूल्यांकन कराएगी।

■ रगरमी में भूजल नीचे जा रहा है, पीने के पानी का संकट भी

विभाग ने जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को मिशन मोड में कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है। आदेश में कहा गया है कि हर वर्ष गर्मी के दौरान कई शहरों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और पेयजल संकट की स्थिति बन रही है। ऐसे में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है।

15 जून तक सरकारी भवनों में लगाना होगा सिस्टम

सरकार ने निर्देश दिया है कि जिले में स्थित सभी शासकीय और अर्द्ध शासकीय कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों में 15 जून 2026 से पहले रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाए।इसके लिए सभी नगरीय निकायों को पहले सर्वे करने को कहा गया है। सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि वर्तमान में भूजल स्तर की क्या स्थिति है, कितने भवनों में वर्षा जल संचयन की संरचनाएं पहले से बनी हैं और कितने भवनों में अब भी व्यवस्था नहीं है।

बारिश के बाद होगा भूजल स्तर का मूल्यांकन

दिशा-निर्देशों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि सरकार केवल संरचनाएं बनाकर नहीं रुकेगी, बल्कि उनके प्रभाव का भी आकलन करेगी। आदेश में आगामी दो महीनों में कितनी वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनीं और वर्षा ऋतु के बाद भूजल स्तर में क्या बदलाव आया, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार सरकार ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को केवल निर्माण परियोजना की तरह नहीं, बल्कि भूजल सुधार के परिणामों से जोड़कर देखा है।

150 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर विशेष फोकस

आदेश के मुताबिक 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों और भवनों की विशेष निगरानी की जाएगी। निकायों को ऐसे भवनों की सूची तैयार करनी होगी जहां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है।सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन निजी भवनों, कॉलोनियों या संस्थानों की भवन अनुमति अवधि समाप्त हो चुकी है और जहां अब तक सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है, वहां जमा सुरक्षा निधि राजसात कर निकाय स्वयं एजेंसी के माध्यम से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराएंगे।

अस्पताल, कॉलोनी और उद्योगों में भी अनिवार्य

निर्देशों के तहत स्कूल, अस्पताल, व्यावसायिक भवन, आवासीय कॉलोनियां, टाउनशिप और औद्योगिक इकाइयों में भी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया गया है।नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित भवनों से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे कि वहां सिस्टम स्थापित और कार्यशील है। जिन भवनों में पहले से व्यवस्था मौजूद है, वहां भी उसकी कार्यशीलता का प्रमाण देना होगा।

बोरवेल और हैंडपंपों के पास बनेंगे रिचार्ज पिट

सरकार ने भवनों के साथ-साथ उद्यानों, बोरवेल और हैंडपंपों के पास भी रिचार्ज पिट बनाने पर जोर दिया है ताकि बारिश का पानी सीधे भूजल स्तर बढ़ाने में उपयोग हो सके। बारिश शुरू होने से पहले यह काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

हर निकाय को बनानी होगी कार्ययोजना

विभाग ने सभी नगरीय निकायों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसका रणनीतिक तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। संचालनालय स्तर पर प्रमुख अभियंता कार्यालय को इस अभियान का नोडल केंद्र बनाया गया है।सरकार का कहना है कि यदि वर्षा जल संचयन संरचनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो आने वाले वर्षों में शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधारने और गर्मी के दौरान पेयजल संकट कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ में लागू होगी 'इम्प्रूव्ड राइस स्कीम'

■ चावल की गुणवत्ता, पोषण और मिलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने

■ राइस मिलर्स ने मिलों के आधुनिकीकरण और गुणवत्ता सुधार पर दिया जोर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नवीन 'इम्प्रूव्ड राइस स्कीम' को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में बुधवार को न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने की। इसमें छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड तथा प्रदेशभर के राइस मिलर्स ने भाग लिया।

कार्यशाला में खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा, भारत सरकार आगामी खरीफ वर्ष में 'इम्प्रूव्ड राइस स्कीम' को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य के राईस मिलों को इसके लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे।

चावल ब्रोकन का निर्धारित मानक तय

कार्यशाला में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली 'इम्प्रूव्ड राईस स्कीम' के विभिन्न प्रावधानों, गुणवत्ता मानकों, भंडारण व्यवस्था, अनुबंध प्रक्रिया, लागत एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 10 प्रतिशत अरवा ब्रोकन चावल एवं 5 प्रतिशत उसना ब्रोकन चावल के निर्धारित मानकों की जानकारी दी।

मिलर्स ने बताई समस्याएं

बैठक के दौरान राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने व्यवहारिक समस्याओं और सुझावों को प्रमुखता से रखा। मिलर्स ने प्रदेश में उन्नत धान किस्मों की खेती को बढ़ावा देने, भारतीय खाद्य निगम में रैक मूवमेंट को तेज करने तथा मिलिंग लागत में वृद्धि जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही उन्होंने स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

हाईवे में हेलमेट अनिवार्य करने के लिए सीएम को लिखे पत्र

रायपुर। नहरपारा विकास समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद रमेश आहूजा एवं महामंत्री किशोर आहूजा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि हमारी समिति ने आपको हेलमेट अनिवार्य करने के संबंध में कई पत्र लिखे, जिसके जवाब में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने 27 अप्रैल को एक पत्र रायपुर के सभी समाचार पत्रों को जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि, केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आदेश के अनुसार मोटर साइकिल चालक व पीछे बैठे सवार दोनों के लिए हेलमेंट अनिवार्य किया गया है तथा इस संबंध में मोटर यान अधिनियम 1988 में आवश्यक प्रावधान किए गए है, इस प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर साइकिल चालाने पर इस अधिनियम की धारा 194 (घ) के तहत अर्थदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने समाचार पत्रों में कहा है कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की मई माह में बैठक होगी, जिसमें निर्णय लेकर अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.)

Phone No. 07836-232224 Email ID- nppbkp@gmail.com
क्र./1729/न.पा.परि./ लो.नि./ 2026 बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/05/2026

-:: ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना ::-

लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से विभिन्न वार्डों में पाईप लाईन विस्तार कार्य एवं एक्जिस्टिंग एलएलआरएम सेंटर में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका सिस्टम टेंडर क्रमांक 189408 एवं 189433 है जिसकी कुल लागत राशि 70.10 लाख रू. एवं निविद डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 17.06.2026 है। उपरोक्त कार्यों की निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in या http://eproc.cgstate.gov.in का अवलोकन करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर
जिला कोरिया (छ.ग.)

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत निर्माण में योगदान दें

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

CAVEAT APPLICATION NO. / 2026
WP (C) NO. /2026

CAVEATOR [PROPOSED RESPONDENT] : SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED THROUGH GENERAL MANAGER, RAIGARH AREA

VERSUS

NON-CAVEATOR [PROPOSED PETITIONER/S] : TO GENERAL PUBLIC/ALL THE CONCERNED PEOPLE TO WHOM IT MAY RELATE

CAVEAT UNDER SECTION 148-A OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

The caveator named above begs to submit as under:

1. That, it is submitted that a Public Hearing is being conducted, on the date 08.06.2026 at 11:00 AM at Atal Chowk, Village Pelma, Tehsil Tamnar, District Raigarh, by the Chhattisgarh Environment Protection Board in compliance with the Notification dated 14.09.2006 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India (copy enclosed), for the purpose of obtaining Environmental Clearance for Pelma OCP (15 MTPA) within the mining lease area of 2077.934 hectares. Copy of the notification dated 20.05.2026 and the newspaper cutting has been collectively attached herewith as **Annexure C-1 (Colly.).**
2. That, the Caveator is required to obtain Environment Clearance (EC) from MOEF&CC for commencement of the project. And the caveator has come to learn and apprehends that some private persons/people/groups/groups of people or registered/non-registered group may challenge the above mentioned Public Hearing which is being conducted and may approach this Hon'ble Court by way of a Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India or by way of filing of Public Interest Litigation, seeking to challenge the validity, fairness, or rationality of the said Public Hearing thereunder or to stall or cancel the same along-with application for grant of interim relief/stay. In such event, notice be given **"Chetan Singh Chauhan, Advocate,** R-9/21 Rama Valley, Bodri Bilaspur (C.G.), Contact 8280810559, so that the interest of the caveator may be duly safeguarded.
3. That, the copy of the notice of this caveat has been published in the newspaper circulated in the area. Copy of the paper cutting of the said publication has been attached herewith as **Annexure C-2.**

PRAYER

The Caveator most respectfully prays that this Hon'ble Court may graciously take this Caveat on record and be pleased not to pass any ex-parte or interim order in any proceeding concerning the said actions of the SECL without affording the Caveator an opportunity of hearing.

BILASPUR (C.G.)
DATE : . .2026

(CHETAN SINGH CHAUHAN)
COUNSEL FOR THE CAVEATOR/ PROPOSED RESPONDENT

2 साल में 50 से ज्यादा चेनमाउंटेन मशीनें जब्त

जुर्माना भी 50 लाख से ज्यादा वसूला, बावजूद नियम विरुद्ध खनन जारी

रायपुर। रायपुर जिले में इन दिनों अवैध तथा नियमों के विरुद्ध रेत का उत्खनन बंद कराने के लिए सभी खदानों को खनिज विभाग ने जरूर बंद करा दिया है, लेकिन पिछले दो साल का आंकड़ा बता रहा है कि नदियों में किस तरह से पर्यावरण विभाग की गाइड लाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले दो वर्ष में जिले में विभिन्न खदानों में कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने 50 से ज्यादा चेन माउंटेन मशीनों से रेत उत्खनन करते हुए पकड़ा है। इन मशीनों के मालिकों पर इसके लिए प्रति मशीन एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह 50 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला है। खनिज विभाग की यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि नदियों का सीना चीरने में वैध एवं अवैध रूप से खनन करने वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इधर दूसरी ओर पर्यावरण की गाइड लाइन का खदानों में पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी तथा नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई का जिम्मा जिस पर्यावरण विभाग के अधिकारियों कंधों पर है, वे गहरी नींद में सोए हुए हैं।

खनिज विभाग के जिला अधिकारी राजेश मालवे ने बताया कि पिछले दो साल में रेत खदानों में संलिप्त 50 से अधिक चेन माउंटेन, पोकलने मशीनों को जब्ती बनाकर उनके मालिकों से जुर्माना वसूल किया है। प्रत्येक चेन माउंटेन, पोकलेन मशीन के मालिक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि मशीनों से रेत खनन तथा वाहन में लोडिंग करना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी रेत खनन का कार्य तेजी से हो, इसके लिए मशीनों का उपयोग करते हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग की गाइड लाइन के प्रावधान के तहत मशीनों को पकड़कर जुर्माना वसूला जाता है। जुर्माना लेने के बाद मशीनों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें सख्त कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं है। हालांकि पर्यावरण विभाग को सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन उनके द्वारा इस मामले में कोई एक्शन तक नहीं लिया जाता।

नदी का सीना चीर बीचोबीच की जा रही खुदाई

पर्यावरण विभाग की गाइड लाइन के अनुसार नदी के तटों पर जहां रेत जमा हो रही है, उन्हें ही खनन की अनुमति दी जाती है, लेकिन जिले में कई खदानों में नदी के बीचो बीच जाकर सीना चीरकर मशीनों से रेत निकाली जा रही है। इससे नदी में कटाव भी हो रहा है, जबकि कटाव क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित है।

गुमशुदा की तलाश

निशिथ लाल (78 वर्ष) पिता रामभूरेलाल, निवासी- भाठगांव, ब्लाक नं. 01/22, BSUP कालोनी, मुस्लिम मोहल्ला, थाना-पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.) रंग-सांवला, हाईट-5.2'', चेहरा- गोल, कपड़ा- सफेद लाइनिंग कलर का शर्ट, कत्था पेंट, हिंदी-छत्तीसगढ़ी बोलता है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति को मिले या दिखे तो नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए ईनाम राशि दिया जावेगा।

आलवीन लाल
मो. 95891 47606, 9630224933

केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
केंद्रीय रेशम बोर्ड
(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)
बी.टी.एम. लेआउट, मडिवाला, बेंगलुरु 560068
Phone: +91-80-2628 2699 Email: cstriban.csb@nic.in Website: cstri.res.in

No.CSB/CSTRI/PMC/ Master Reelers/2026-27 **प्रत्यक्ष साक्षात्कार** दिनांक: 27.05.2026

सिल्क समग्र-2 के अंतर्गत संविदा के आधार पर 10 महीने या जून 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए मास्टर रीलर्स/तकनीशियनों/बुनकरों/डायर्स के (73) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 05.06.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन इंटरव्यू) में शामिल हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट देखें https://cstri.res.in & http://csb.gov.in

ह/-
सीबीसी: 41109/11/0003/2627 निदेशक

interio by Godrej

PUBLIC NOTICE

It has come to the notice of Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited., part of Godrej Enterprises Group, having its registered office at PIROJSHA NAGAR, VIKHROLI, MUMBAI, Maharashtra, India - 400079., that the Company's ex-dealer is unauthorizedly claiming to be present dealers/distributors of the Company and selling its products.

This is to inform the general public that M/s. Gagan Home Solutions, operating from Gagan Complex, Old Gazibo Building, Beside Indian Bank, Vyapar Vihar Road, Bilaspur Chhattisgarh - 495001, is no longer the Company's authorized dealer/distributor but is representing itself as an authorised dealer by using the Company's signage of "Godrej Interio" and selling the Company products. Kindly note, any purchase of products from M/s Gagan Home Solutions is at the buyer's own risk, and the Company shall not be responsible for the quality, authenticity, or warranty of such products.

For genuine products and after-sales support, customers are advised to contact our authorized dealer in the area:

Authorized Dealer: M/s Kesharwani Makers and Movers Pvt. Ltd.

Address: FCI Chowk, Nr. Ananda Imperial Hotel, Vyapar Vihar, Bilaspur (CG)- 495001 **Contact:** 9111882220

Members of the public are requested to take note and exercise caution while purchasing products from unauthorized sources.

Issued in the public interest by:

Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited., part of Godrej Enterprises Group., Interio by Godrej **Contact:** 0771-2990306

Date: 19-05-26

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623, Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16/06/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

बिलासपुर, बस स्टैंड बिलासपुर, 0117040700024880, 5161, 5242, 5563, 5701, 6702, 0117040730046387, 6434, लिंक रोड बिलासपुर, 0131560700017528, 7595, 0131560730020583, महाराणा प्रताप चौक, 0124630700020495, 0930, 1322, 2268, 0124630730020960, 1291, 1477, 2569, 2780, 3154, 4560, 5284, मंगला चौक बिलासपुर, 0122000700022501, 2511, 2550, 2842, 2904, 4897, 5149, 5324, 5459, 5610, 5686, 5785, 5932, 6144, 6735, 7481, 0122000730033897, 4922, 5082, 5157, 6503, 6631, 6655, 6708, 6731, 7012, 7277, 7323, 7484, 7485, 7486, 9490, 9779, 0186, सदर बाजार बिलासपुर, 0129880700015724, 7940, 8166, 8372, 8580, 8864, 8872, 9137, 0062, 0080, 0204, 0129660730017207, 9037, 9119, 9799, 0825, 0059, 0352, सरकंडा बिलासपुर, 0121440700023188, 3301, 3335, 3389, 3643, 3673, 3753, 3839, 3864, 3955, 4475, 4506, 4509, 4525, 5292, 5327, 5328, 0121440730026075, 9956, 0361, 0418, 0579, 0680, 0681, 0682, 0901, 1089, 1234, 1507, व्यापार विहार, 0115450700019945, 9950, 0221, 0659, 0684, 0693, 0741, 0957, 0984, 1046, 1777, 0115450730026507, 8422, 8597, 8643, 9071, 9378, 9617, 9618, 9619, जंजगीर चंपा, अकलतरा, 0138220700005753, 0138220730038126, 9794, 0646, 0743, कपाली चौक जांजगिर-चांपा, 0134380730022662, 3636, 4012, 4165, 4520, 4523, 0134380750000120, 0129, कोर्बा, कोसाबाड़ी, 0125440700028154, 8446, 8819, 0950, 0125440730049965, 6895, 7029, 8840, 0570, 2026, निहारिका टॉकिज, 0116970700021930, 2784, 3001, 0116970730044121, 4347, 4811, 8354, पॉवर हाउस रोड, 0114460700017859, 7930, 7945, 7953, 0114460730031255, 2106, 2158, 2230, 2359, 2825, 2896, 3293, 3584, 3776, 4483, 0222, टी पी नगर, 0126470700016770, 0126470730029112, 9170, 9641, 0793, ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा, 0114450700023928, 4800, 5647, 0114450730046020, 6321, 6451, 6629, 6847, 0738, रायगढ़, जगतपुर छत्तीसगढ़, 0123720700032570, 3068, 4714, 4937, 0123720730044946, 5014, 5045, 5328, 5520, 5616, 5831, 5865, 5931, 6212, 6289, 6336, 6348, 6352, 6536, 7304, 7321, 8359, 8747, 8988, 9342, 0417, 1911, कोटरा रोड, 0126070700021949, 4685, 0126070730039700, 9882, 0395, रामनिवास टॉकिज रोड, 0117520700035254, 6263, 7950, 0117520730041600, 1875, 6149, सरगुजा, अंबेडकर चौक अंबिकापुर, 0131880700018309, 8461, 8956, 9076, 9364, 9397, 9569, 9679, 9727, 9859, 9921, 0057, 0102, 0159, 0359, 0369, 0408, 0528, 0530, 1270, 1349, 2089, 3421, 3477, 0131880730014057, 7140, 7350, 8178, 8423, 8701, 8702, 8795, 8940, 9188, 0651, 2718, 4018, 4167, 5521, 6549, 9241, 0117, ब्रह्म रोड अंबिकापुर, 0131900700011656, 2022, 2126, 2226, 2447, 2451, 2644, 2946, 2978, 3036, 3476, 3769, 0131900730015023, 5418, 8510, 8511, 8512, 8622, खरसिया रोड अंबिकापुर, 0131960700012870, 3881, 4205, 4300, 5580, 6270, 6278, 6440, 6876, 7061, 9481, 0131960730017020, 1171,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

भारत सरकार
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
ट्रैक्टर नगर, बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.) 466445

कृषि मशीनरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (वर्ष 2026-27)
आगामी माहों में निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है

पाठ्यक्रम का नाम	कोड	अवधि	प्रारंभ की तिथि	समाप्ति की तिथि	आकस्मिक शुल्क	पात्रता
उपयोगकर्ता स्तर पाठ्यक्रम						
कृषि में ऊर्जा प्रबंधन के लिये उपयुक्त मशीनीकरण तकनीक	यू.-1	4 सप्ताह	15.09.2026 16.11.2026	09.10.2026 11.12.2026	निःशुल्क	प्रगतिशील कृषक जो मशीनीकृत खेती के इच्छुक हों, ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी के मालिक/प्रचालक प्रचार-प्रसार कार्यकर्ता एवं निजी संस्थान के कर्मचारी, जो कृषि मशीनरी क्षेत्र में संलग्न हों।
उन्नत कृषि मशीनरी का चयन, प्रचालन, सुरक्षा व रखरखाव	यू.-2	6 सप्ताह	30.03.2026 31.08.2026 02.11.2026 01.02.2027	08.05.2026 09.10.2026 11.12.2026 12.03.2027		
महिला कृषकों के लिए उपयुक्त सहयोगी उपकरण	यू.-5	3 दिन	आवश्यकतानुसार			
पौध संरक्षण उपकरण का चयन, प्रचालन एवं रखरखाव	यू.-8	1 सप्ताह	11.01.2027	15.01.2027		
उन्नत कटाई एवं गहाई उपकरणों का चयन, प्रचालन एवं रखरखाव	यू.-9	2 सप्ताह	23.11.2026 22.03.2026	04.12.2026 02.04.2027		
शुष्क खेती के लिए कृषि यंत्रों का चयन, प्रचालन और रखरखाव	यू.-11	2 सप्ताह	14.09.2026	25.09.2026		
फसल आधारित कृषि मशीनरी	यू.-12	1 सप्ताह	आवश्यकतानुसार			
कौशल विकास पाठ्यक्रम						
ट्रैक्टर प्रचालक	एजीआर/क्यू1115	290 घंटे	एएससीआई अनुमोदन के अनुसार संस्थान की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा		निःशुल्क	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण
हार्वेस्टिंग मशीन प्रचालक	एजीआर/क्यू1116	290 घंटे				दसवीं कक्षा उत्तीर्ण
तकनीशियन स्तर पाठ्यक्रम						
स्टेशनरी इंजिनों एवं ट्रैक्टरों की मरम्मत व ओवरहालिंग	टी-1	6 सप्ताह	16.03.2026 12.10.2026 14.12.2026 25.01.2027	24.04.2026 20.11.2026 22.01.2027 05.03.2027	रु. 300	ऐसे आवेदक जो ट्रैक्टर मैकेनिक, फार्म मैकेनिक, मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या अन्य समकक्ष विषयों पर आई.टी.आई. सर्टिफिकेट परीक्षा पास कर चुके हों/उन्नत कृषि मशीनरी का चयन, प्रचालन, सुरक्षा व रखरखाव पाठ्यक्रम/ उपर्युक्त विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त हो या केन्द्र/राज्य/निजी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत् संबंधित विषयों के अधिकारी/कर्मचारी।
कृषि मशीनों के हाइड्रोलिक सिस्टम का अध्ययन व मरम्मत	टी-4	4 सप्ताह	27.04.2026 23.11.2026 25.01.2027 08.03.2027	22.05.2026 18.12.2026 19.02.2027 02.04.2027	रु. 200	
आटो इलेक्ट्रिकल उपकरण का रखरखाव एवं मरम्मत तथा बैटरी रि-कंडीशनिंग	टी-5	3 सप्ताह	13.07.2026 28.09.2026 01.03.2027	31.07.2026 16.10.2026 19.03.2027	रु. 150	
डीजल पम्पिंग सेट का स्थापन, मरम्मत व ओवरहालिंग	टी-8	2 सप्ताह	आवश्यकतानुसार		रु. 100	
कम्बाइन हार्वेस्टर एवं भूसा-मशीन का स्थापन, रखरखाव एवं मरम्मत	टी-9	3 सप्ताह	02.11.2026	20.11.2026	रु. 150	
शैक्षणिक स्तर पाठ्यक्रम						
डिग्री /डिप्लोमा स्तर के अभियान्त्रिकी छात्रों के लिए फार्म पावर एवं मशीनरी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए-1	4 सप्ताह	04.05.2026 01.06.2026 29.06.2026 03.08.2026 04.01.2027	29.05.2026 26.06.2026 24.07.2026 28.08.2026 29.01.2027	रु. 2000	विभिन्न कालेजों के कृषि एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग स्नातक/डिप्लोमा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। **(आवेदन संख्या द्वारा प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा)।**
प्रबंधन स्तर पाठ्यक्रम कृषि मशीनरी प्रबंधन	एम-2	1 सप्ताह	आवश्यकतानुसार		रु. 2500	प्रगतिशील कृषक/ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी निर्माताओं/ शासकीय विभागों/ गैर सरकारी संगठन द्वारा नामितइंजीनियर/प्रबंधकों/कर्मचारियों/ कृषकों के लिए। **(कृषकों हेतु निःशुल्क)**
आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम	एन बी	-	आवश्यकतानुसार		रु. 250 प्रति सप्ताह	
महिलाओं के लिए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम						
1. कृषि प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन मशीनरी 2. ट्रैक्टर और पावर टिलर से परिचित होना 3. कस्टम हायरिंग सेंटर/एफएमबी की स्थापना	एसटीपीडब्ल्यू	2 सप्ताह	आवश्यकतानुसार		निःशुल्क	प्रगतिशील महिला किसान, कृषि मशीनरी मालिककृषि विस्तार कार्यकर्ता /कृषि में कार्यरत स्वयं सहायतासमूह,सरकारी /अर्ध-सरकारी/दक्षिणप्रक्षी संघों/गैर-सरकारीसंगठनों/निजी संगठनों द्वारा प्रायोजित संबंधित तकनीकी कर्मी।
स्मार्ट कृषि के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम						
1. भविष्य की कृषि के लिए मशीन लर्निंग, आईओटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2. भविष्य की स्मार्ट कृषि के लिए स्वायत्त ट्रैक्टर 3. भविष्य की स्मार्ट कृषि के लिए ड्रोन 4. भविष्य की स्मार्ट कृषि के लिए रोबोट 5. भविष्य की स्मार्ट कृषि के लिए प्रसिजन और खाद्य प्रसंस्करण	एसटीपी	2 सप्ताह	आवश्यकतानुसार		निःशुल्क	प्रगतिशील महिला/पुरुष किसान, कृषि में लगे ग्रामीण युवा और सरकारी/अर्ध-सरकारी/एसएचजी/एनजीओ/निजी कर्मी आदि से संबंधित तकनीकी कर्मी।
रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (ड्रोन पायलट प्रशिक्षण)	आरपीसी (छोटा ड्रोन)	15 दिन	आवश्यकतानुसार		15000+ 18% जीएसटी	10वीं पास, प्रगतिशील महिला/पुरुष किसान, कृषि में लगे ग्रामीण युवा और सरकारी/अर्ध-सरकारी/एसएचजी/एनजीओ/निजी कर्मी आदि से संबंधित तकनीकी कर्मी।
प्रशिक्षु प्रशिक्षण: https://nats.education.gov.in (For Degree pass out)	ग्रेजुएट अपरेंटिस	1 वर्ष	नियमानुसार प्रतिमाह प्रशिक्षण वृत्तिका			कृषि इंजीनियरिंग स्नातक उत्तीर्ण
प्रशिक्षु प्रशिक्षण: www.apprenticeshipindia.gov.in (For ITI passouts)	ट्रेड अपरेंटिस	1 वर्ष	नियमानुसार प्रतिमाह प्रशिक्षण वृत्तिका			ट्रैक्टर/ डीजल/ इलेक्ट्रीशियन/ कोपा में आई.टी.आई. उत्तीर्ण

आवेदन कैसे करें-आवेदक अपना विस्तृत विवरण,यथा 1.नाम, 2.पिता का नाम, 3.जन्म तिथि, 4.वर्ग 5.पत्र व्यवहार का पता, 6.प्रशिक्षण का उद्देश्य 7.शैक्षणिक योग्यता व तकनीकी योग्यता, 8.कृषि भूमि(एकड़/हेक्टर) 9.कृषि मशीनों को चलाने का अनुभव, इत्यादि विवरण सादे कागज पर दे सकते हैं और शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता, कृषि एवं तकनीकी क्षेत्र में अनुभव, रोजगार (नौकरी) इत्यादि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कागजातों की फोटो प्रतिलिपियों के साथ, संस्थान के निदेशक को वर्ष में कभी भी और या पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के एक माह पूर्व तक, अपने आवेदन भेज सकते हैं। यदि चाहें तो निर्धारित आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। ई-मेल के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आवेदन-पत्र संस्थान की वेबसाइट से भी डाऊनलोड किये जा सकते है। पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने पर किसी भी पाठ्यक्रम को निरस्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन प्रक्रिया में है। अनुमोदित नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कैलेंडर में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

सुविधाएँ-उपयोगकर्ता स्तर पाठ्यक्रम एवं विशेष पाठ्यक्रम में, नामित कर्मचारियों को छोड़कर, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति दिन रूपये **250/- प्रशिक्षण वृत्तिका** दी जाती है एवं प्रशिक्षणार्थी के निवास से कम से कम दूरी का आने एवं वापस जाने का न्यूनतम श्रेणी का किराया (मूल टिकिट जमा करने पर) भुगतान किया जाता है। सभी पाठ्यक्रम के सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में वास्तविक दरों पर भोजन व्यवस्था एवं ठहरने के लिए निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध है। उपयोगकर्ता स्तर पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण वृत्तिका देने का प्रावधान नहीं है तथा आने-जाने का किराया भी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों को नियमानुसार प्रतिमाह प्रशिक्षण वृत्तिका प्रदान की जाती है।

उम्र -सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए (नामित उम्मीदवारों को छोड़कर) और उनको हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

संस्थान का पता : जहाँ आवेदन भेजे जा सकते हैं / सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.) **466445**

E-mail : fmti-mp@nic.in Website: http://fmttibudni.gov.in | **प्रशिक्षण कार्यालय:** 07564-299004, 07564-299002 | **निदेशक कार्यालय** - 07564-299003